पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 फरवरी, 2006 ई0 (माघ 22, 1927 शक सम्वत्) [संख्या–06

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस		3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	41–51	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	21–24	1500
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया		975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल		975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां		975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि		975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि		1425

3. अनुसूची–II (ख) में क्रमांक 75 और क्रमांक 94 की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भवार निम्न प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी:–

क्र०सं०	माल का वर्णन
1	2
75.	हार्डवेयर जिसमें नट, बोल्ट, पेंच, कीलें और फास्टनर सम्मिलित हैं लेकिन लोहा व इस्पात की तार सम्मिलित नहीं हैं।
94.	नदी का बालू, रोड़ी (गिट) और बोल्डर्स।

4. अनुसूची–II (ख) में क्रमांक 126 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद स्तम्भवार निम्न प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी:–

क्र०सं०	माल का वर्णन
1	2
127.	पशुओं का संतुलित चारा
128.	हस्तनिर्मित तार जाली
129.	प्लाईवुड जिसके अन्तर्गत हार्ड बोर्ड, लेदर बोर्ड और फाईबर–शीट भी है
130.	वैल्डिंग इलेक्ट्रोड और वैल्डिंग रॉड
131.	हाथ से बना कपड़े धोने का साबुन
132.	कृषि उपयोग हेतु मिट्टी तेल आधारित लाइट ट्रेप

5. अनुसूची–III में क्रमांक 7 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद स्तम्भवार निम्न प्रविष्टि बढ़ा दी जायेंगी:–

क्र०सं०	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
1	2	3	4
8.	सभी प्रकार के स्नेहक	नि० या आ०	20 प्रतिशत

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **04/XXVII (8)/Vanijya Kar (VAT)/2006**, dated January 21, 2006 for general information :

NOTIFICATION

January 21, 2006

No. 04/XXVII (8)/Vanijya Kar (VAT)/2006–In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005), read with section 21 of the Utlat Pradesh eneral Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), (as applicable in the State of Uttaranchal), the Governor is eased to make with effect from the date of publication of this Notification, the following amendments in Schedules the said Act:–

1. For the existing entries at serial no. 4, serial no. 5, serial no. 6, serial no. 48 and serial no. 55 in Schedule-I, the following entries columnwise shall be substituted, namely:–

Sl. No.	Description of Goods
1	2
4.	Aquatic feed, poultry feed, cattle feed and cattle fodder including green fodder, chunni, bhusi, chhilka, chokar, javi, gower, deoiled rice polish, deoiled rice bran, deoiled rice husk, deoiled paddy husk or outer covering of paddy and acquatic, poultry and cattle feed supplement, concentrate and additives, wheat bran and deoiled cake but excluding oil cake, rice polish, rice bran, rice husk and balanced cattle feed.
5.	Bamboo, bamboo matting and sticks made of bamboo or cane (Ringal) and basket made from these.
6.	Bangles of all kinds except those made of precious metals and kumkum, bindi, atta, sindur and mehandi.
48.	Religious pictures not for use as calendar or publicity material and idols made of clay and hand made religious idols of stone.
55.	Slate (excluding writing boards), slate-pencils, takhti and wooden scale and duster.

2. After the existing entry at serial no. 60 in Schedule-I, the following entries columnwise shall be substituted, namely:–

Sl. No.	Description of Goods
1	2
61.	Bio fuels
62.	Hand knitted woolen sweaters
63.	Medicines manufactured from Gau-mutra
64.	Zinc Sulphate Fertilizer and Micro-Nutrient mixtures

3. For the existing entries at serial no. 75, and serial no. 94 in Schedule-II(B), the following entries columnwise shall be substituted, namely:–

Sl. No.	Description of Goods
1	2
75.	Hardware including nuts, bolts, screws, nails and fastners but excluding iron or steel wires
94.	River sand, grit and boulders

4. After the existing entry at serial no. 126 in Schedule II (B), the following entries columnwise shall be substituted, namely:–

Sl. No.	Description of Goods
1	2
127.	Balanced cattled feed
128.	Hand made wire-mesh

1	2
129.	Plywood including hard-board, leather-board and fibre-sheets
130.	Welding electrodes and welding rods
131.	Hand made washing soaps
132.	Kerosene based light trap used for agricultural purposes

5. For the existing entry at serial no. 7 in Schedule-III, the following entry columnwise shall be substituted, namely:--

Sl. No.	Description of Goods	Point of Tax	Rate of Tax Percentage
1	2	3	4
8.	All kinds of Lubricants	M or I	20 %

अधिसूचना

21 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 05/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2006--राज्यपाल, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904), (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ड्रग्स, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स निर्मित (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी) जिसमें टीके की दवा, सिरिंज व पट्टियां, औषधिक मल्हम जो ड्रग लाइसेंस के अधीन उत्पादित हों सम्मिलित हैं और आई०पी० श्रेणी के हल्का लिक्विड पैराफीन की बिक्री पर निम्नलिखित शर्तों व निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, कर वास्तविक विक्रय कीमत के बदले में अधिकतम फुटकर कीमत (एम०आर०पी०) पर विनिर्माता द्वारा बिक्री या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर, उक्त अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट कर की दर से, देय होगा:--

(1) एम०आर०पी० पर कर का भुगतान करने वाला कोई व्यौहारी विक्रय बीजक में वास्तविक विक्रय कीमत का उल्लेख करने के अतिरिक्त एम०आर०पी० जिस पर कर प्रभारित किया गया है, को भी अलग से उपदर्शित करेगा।

(2) कोई व्यौहारी जो ऐसे व्यौहारी से माल जिस पर कर का भुगतान एम०आर०पी० पर किया जा चुका है, की खरीद करता है, ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स के लाभ का हकदार नहीं होगा।

(3) कोई व्यौहारी जो ऐसे व्यौहारी से माल जिस पर कर का भुगतान एम०आर०पी० पर किया जा चुका है, की खरीद करता है, ऐसे माल की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा।

(4) कोई व्यौहारी जो एम०आर०पी० पर कर का भुगतान करने पर माल की बिक्री करता है विक्रय बीजक में "एम०आर०पी० पर कर का भुगतान किया गया है" उपदर्शित करेगा और ऐसे माल की खरीद करने के बाद बिक्री करने वाले पश्चात्वर्ती व्यौहारी अपने विक्रय बीजक में "एम०आर०पी० पर कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है" उपदर्शित करेगा और ऐसे सभी व्यौहारी विक्रय बीजक पर सबसे ऊपर "एम०आर०पी० पर कर के लिये विक्रय बीजक" भी मुद्रित किया जायेगा।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **05/XXVII (8)/Vanijya Kar (VAT)/2006**, dated January 21, 2006 for general information :

NOTIFICATION

January 21, 2006

No. 05/XXVII (8)/Vanijya Kar (VAT)/2006--In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (8) of section 4 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of

the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), (as applicable in the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to order that with effect from the date of publication of this notification the tax on the sale of Drugs, medicines and pharmaceutical preparations (Allopathic, Ayurvedic, Homeopathic and Unani) including vaccines syringes and dressings, medicated ointments produced under drugs license and light liquid paraffin of IP grade shall be payable at the point of sale by Munufacturer or sale by Importer at the rate specified under section 4 of the said Act, on the Maximum Retail Price (M.R.P.) instead of at its actual sale price, subject to the following conditions and restrictions:–

(1) The dealer paying tax at M.R.P. shall, in addition to mentioning in the Sale Invoice the actual sale price, separately indicate in the Sale Invoice the M.R.P. on which tax has been charged.

(2) Any dealer purchasing from such dealer the goods on which tax has been paid on M.R.P. shall not be entitled to any Input Tax Credit on such purchases.

(3) Any dealer purchasing from such dealer the goods on which tax has been paid on M.R.P. shall not be liable to pay tax on his sale of such goods.

(4) The dealer selling goods on payment of tax on M.R.P. shall indicate on the Sale Invoice that "TAX IS PAID ON M.R.P." and the subsequent dealers selling such goods after purchase from such dealer, shall indicate on the Sale Invoice that "TAX HAS EARLIER BEEN PAID ON M.R.P." and all such dealers shall print on the top of the Sale Invoice "INVOICE FOR TAX ON M.R.P."

अधिसूचना

21 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 06/XXVII(8)/वाणिज्य कर (सी०एस०टी०)/2006–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74, वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना संख्या 822/XXVII(5)/व्यापार कर/2004, दिनांक 03 जुलाई, 2004, में वर्णित शर्तों में शर्त संख्या (2) के खण्ड (ङ) के बाद निम्नलिखित इकाई रख दी जायेगी:–

"(च) टिम्बर एवं टिम्बर उत्पाद का उत्पादन व बिक्री"

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **06/XXVII (8)/Vanijya Kar (CST)/2006**, dated January 21, 2006 for general information :

NOTIFICATION

January 21, 2006

No. 06/XXVII (8)/Vanijya Kar (CST)/2006–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interests;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act no. 74 of 1956) read with section 21 of General Clause Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to order that, with effect from the date of publication of this notification, the following unit shall be inserted after clause (e) of condition no. (2) of notification no. 822/XXVII(5)/Vyapar Kar/2004, dated July 03, 2004:–

"(f) munufacture and sale of timber and timber product"

अधिसूचना

21 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 07/XXVII(8)/वाणिज्य कर (सी०एस०टी०)/2006—चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74, वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना संख्या 335/XXVII(5)/व्यापार कर/2004, दिनांक 16 मार्च, 2005, में वर्णित शर्तों में शर्त संख्या (4) के खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित इकाई रख दी जायेगी:—

"(घ) टिम्बर एवं टिम्बर उत्पाद का उत्पादन व बिक्री"

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 07/XXVII (8)/Vanijya Kar (CST)/2006, dated January 21, 2006 for general information :

NOTIFICATION

January 21, 2006

No. 07/XXVII (8)/Vanijya Kar (CST)/2006—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interests;

Now, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act no. 74 of 1956) read with section 21 of General Clause Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to order that, with effect from the date of publication of this notification, the following unit shall be inserted after clause (c) of condition no. (4) of notification no. 335/XXVII(5)/Vyapar Kar/2004, dated March 16, 2005:--

"(d) munufacture and sale of timber and timber product"

अधिसूचना

21 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 08/XXVII(8)/वाणिज्य कर (सी०एस०टी०)/2006—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74, वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5), सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, लोकहित में निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, किसी विनिर्माता द्वारा, जिसका व्यापार स्थल उत्तरांचल में हो, ऐसे व्यापार स्थल से अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान सर्वे रेखाचित्र उपकरण, जिसकी बिक्री पर उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन कर देय है, की बिक्री शैक्षिक एवं अनुसन्धान संस्थाएं जिनमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय सम्मिलित है, को करने पर उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट शर्तों एवं निबन्धनों तथा इस शर्त के अध्यधीन कि इकाई उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत है तथा उक्त अधिनियमों तथा उनके अध्यधीन बनाये गये नियमों व जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबन्धों का अनुपालन करती है, और अनुलग्नक—क के अनुसार फार्म "घ घ" में घोषणा—पत्र प्रस्तुत करने पर कर की गणना चार प्रतिशत की दर से की जाएगी।

अनुलग्नक–क

प्ररूप "घ घ"

(प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा खरीद करने के लिए घोषणा का फार्म)

संस्था का नाम और पता _____

_____

क्रम संख्या _____

सेवा में,

_____

_____ (विक्रेता)

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित माल आपसे इस संस्थान द्वारा अथवा इसकी ओर से खरीदा गया है :–

क्रम संख्या	बीजक संख्या और दिनांक	वस्तु का नाम	माल की मात्रा/ संख्या/वजन	माल की कीमत
1	2	3	4	5

मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह माल हमारे निजी आवश्यकता के लिए है और यह पुनर्बिक्री या बिक्री हेतु किसी माल के निर्माण या पैकिंग के लिए नहीं है।

मैं (i) केन्द्रीय विक्रय कर 'अधिनियम, 1956, उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं के सभी उपबन्धों और अधिसूचना संख्या /XXVII(8)/ वाणिज्य कर/2006, दिनांक . 2006 में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने; और

(ii) इस प्रकार क्रय किये गये माल को उसी प्रयोजन जिसके लिए उसको क्रय किया गया है, हेतु उपयोग करने

के लिए वचनबद्ध हूँ।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता _____

_____

(संस्था के प्राधिकृत प्रतिनिधि)

(मुहर)

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **08/XXVII (8)/Vanijya Kar (CST)/2006**, dated January 21, 2006 for general information :

NOTIFICATION

January 21, 2006

No. 08/XXVII (8)/Vanijya Kar (CST)/2006–In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act no. 74 of 1956), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to direct in the public interest that with effect from the date of publication of this notification, the tax payable under sub-section (2) of section 8 of the said Act by any manufacturer having his place of business in Uttaranchal, in respect of the sales by him from any such place of business in the course of inter-state trade or commerce, of survey drawing instruments to non-dealer educational and research institutions including Schools, Colleges, Universities and Deemed Universities shall, subject to the conditions and restrictions referred to in sub-section (5) of section 8 of the said Act and also the conditions that the unit is registered under the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 and the Central Sales Tax Act, 1956, and complies with provisions of the said Acts and Rules framed and the notifications issued thereunder, and on furnishing the declaration in "DD" as per Annexure-A, be calculated at the rate of FOUR PER CENT.

ANNEXURE–A

FORM "D D"

(Form of Declaration for purchases made by Authorised Institutions)

Name and address of Institution .....

.....

Serial No. .....

To,

.....

.....(Seller)

CERTIFIED that the goods stated below have been purchased from you by or on behalf of this Institute:–

Sl. No.	Bill No. and date	Name of the commodity	Quantity/Number/ Weight of the goods	Value of the goods
1	2	3	4	5

I certify that the goods are meant for our own requirement and are not meant for resale or for use in the ufacture or packing of any goods for sale.

I under take to–

(i) comply with all provisions of the Central Sales Tax Act, 1956, the Rules framed and the Notifications issued thereunder; and also the conditions specified in the Nolification no. / XXVII(8)/Vanijya Kar (CST)/2006, dated

(ii) utilise the goods so purchased for the purpose for which the same have been purchased.

Place.....

Date.....

Signatures.....

Name.....

Address .....

.....

(Authorised Representative of the Institution)

(SEAL)

अधिसूचना

21 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 09/XXVII(8)/वाणिज्य कर (सी०एस०टी०)/2006--चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74, वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 956/XXVII(5)/व्यापार कर/2005, दिनांक 08 अगस्त, 2005 विखण्डित हो जायेगी।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 09/XXVII (8)/Vanijya Kar (CST)/2006, dated January 21, 2006 for general information :

NOTIFICATION

January 21, 2006

No. 09/XXVII (8)/Vanijya Kar (CST)/2006--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interests;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act no. 74 of 1956), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to order that, with effect from the date of publication of this Notification no. 956/XXVII(5)/Vyapar Kar/2005, dated August 08, 2005 shall be rescind.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Principal Secretary, Finance.

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

सेवानिवृत्ति

24 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 1241/तीस–1–05–25(2)/2004–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के निम्नलिखित अधिकारी जो अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर–4 में अंकित तिथि को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे:–

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री सोहन लाल, अपर सचिव, उत्तरांचल शासन	08–09–1946	30–09–2006
2.	श्री खड़क सिंह दरियाल, अपर सचिव, उत्तरांचल शासन	02–04–1946	30–04–2006
3.	श्री जगदीश प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी	12–11–1946	30–11–2006

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 06 हिन्दी गजट/70–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 फरवरी, 2006 ई0 (माघ 22, 1927 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

18 जनवरी, 2006 ई0

संख्या 01/XIV/20/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री वी0के0 माहेश्वरी, महा निबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल को दिनांक 18.01.2006 से 01.02.2006 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,
रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

NOTIFICATION

January 18, 2006

No. 02/UHC/Admin. A/2005–Sri R.C. Maulekhi, District & Sessions Judge, Champawat is hereby appointed Officiating District & Sessions Judge, Pithoragarh during the period of Recess of Sri Ram Singh, District & Sessions Judge, Pithoragarh from 20.01.2006 to 29.01.2006, in addition to his own duties.

NOTIFICATION

January 30, 2006

No. 03/UHC/Admin. A/2005–In modification of this Court's Notification no. 162/UHC/Admin. A/2005, dated December 07, 2005, Smt. Indira Ashish, District & Sessions Judge, Udhamsingh Nagar will remain same in the present post upto 30.04.2006.

NOTIFICATION

January 30, 2006

No. 04/UHC/Admin. A/2005–In modification of this Court's Notification no. 164/UHC/Admin. A/2005, dated December 07, 2005, Sri Umesh Chandra Dhyani, Secretary Law-cum-L.R., Government of Uttaranchal, Dehradun will remain same in the present post upto 30.04.2006.

By Order of the Court,

RAVINDRA MAITHANI,
I/C Registrar General.

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

02 फरवरी, 2006 ई०

संख्या 04/XIV/13/प्रशा० अनु०–अ/2003–श्री सत्य नारायण सिंह, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ को दिनांक 02.01.2006 से 26.01.2006 तक 25 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पूर्व दिनांक 25.12.2005 से 31.12.2005 शीतकालीन अवकाश और 01.01.2006 रविवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

विज्ञप्ति

02 फरवरी, 2006 ई०

संख्या 05/XIV/85/प्रशा० अनु०–अ/2003–श्री मौहम्मद सुल्तान, सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ को दिनांक 12.01.2006 से 28.01.2006 तक 17 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पूर्व दिनांक 11.01.2006 ईद–उल–जूहा अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 29.01.2006 रविवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरांचल

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

28 जनवरी, 2006 ई०

पत्रांक 3849/फार्म अनु०–2004–2005/आ०घो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) के नियम–85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए आयात घोषणा–पत्रों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्म सी का क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री पोर्टपोरी एक्सपोर्ट प्रा०लि०, काठगोदाम, हल्द्वानी	01 आयात घोषणा–पत्र	UTC–412119

बी० पी० पाण्डे,
आयुक्त कर, उत्तरांचल, देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरांचल

(स्थापना अनुभाग)

आदेश

28 जनवरी, 2006 ई0

पत्रांक 3852/आयु0कर उत्तरां0/स्था0अनु0/वाणि0क0/05–06/दे0दून–जनहित में निम्नलिखित वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2 को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित कार्यालय में तैनात किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	तैनाती के कार्यालय का नाम
1.	श्री अर्जुन सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, मुख्यालय, देहरादून	वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, सहायता केन्द्र, आशा रोड़ी, देहरादून
2.	श्रीमती सावित्री शाह, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, सम्बद्ध ज्वाइन्ट कमिश्नर, (दि0अनु0शा0/प्रवर्तन) गढ़वाल जोन, हरिद्वार	वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, खण्ड–2, हरिद्वार

श्री आनन्द सिंह सूर्यवंशी, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, खण्ड–2 हरिद्वार द्वारा अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31–01–06 की अपरान्ह में उनके इस पद से कार्यमुक्त होने पर, उक्त क्रमांक–2 पर अंकित अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, खण्ड–2 हरिद्वार का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

बी0 पी0 पाण्डे,
आयुक्त कर, उत्तरांचल, देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरांचल

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

24 जनवरी, 2006 ई0

पत्रांक 3770/आयु0क0उत्तरां0/वाणि0क0/फार्म अनुभाग/दे0दून/2005–06–उत्तरांचल मूल्य वर्धित अधिनियम, 2005 की धारा 80 की उपधारा 9 तथा नियम–30 के उपनियम–13 में निर्धारित व्यवस्था तथा शासन के आदेश–पत्र संख्या 102/सचिव वित्त/वोल्यूम–1/2005–06/वित्त विभाग, सचिवालय उत्तरांचल, देहरादून, दिनांक 27–12–2005 के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है आयात के लिये घोषणा–पत्र (ट्रेडर्स) की पूर्व से चली आ रही प्रचलित सीरीज UT/C 2004 तथा प्रभावी दिनांक 16–11–2005 से प्रचलित सीरीज UM/D 2005 (क्रमांक 000001 से 030000) के साथ–साथ प्रभावी दिनांक 25–01–06 से सीरीज UM/D 2005 (क्रमांक 030001 से 070000) दिनांक 31–03–2006 तक प्रचलित रहेगी। इन दोनों सीरीजों के फार्म दिनांक 31–03–06 की मध्य रात्रि तक सहायता केन्द्रों पर स्वीकार किये जाते रहेंगे।

UM/D 2005 (क्रमांक 030001 से 070000) सीरीज के फार्म ठीक उसी प्रकार की प्रिन्टिंग में है जिस प्रकार सीरीज UM/D 2005 (क्रमांक 000001 से 030000) तक के फार्म हैं अन्तर केवल सीरीज के क्रमांक का है।

विज्ञप्ति

24 जनवरी, 2006 ई0

पत्रांक 3771/आयु0क0उत्तरां0/वाणि0कर/फार्म अनुभाग/दे0दून/2005–06–उत्तरांचल मूल्य वर्धित अधिनियम, 2005 की धारा 80 की उपधारा 9 तथा नियम–30 के उपनियम–13 में निर्धारित व्यवस्था तथा शासन के आदेश–पत्र संख्या 102/सचिव वित्त/वोल्यूम–1/2005–06/वित्त विभाग, सचिवालय उत्तरांचल, देहरादून, दिनांक 27–12–2005 के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है आयात के लिये घोषणा–पत्र (निर्माता) की पूर्व से चली आ रही प्रचलित सीरीज UM/C 2004 एवं UM/D 2005 तथा प्रभावी दिनांक 16–11–2005 से प्रचलित सीरीज UM/E 2005 (क्रमांक 000001 से 070000 तक) के साथ–साथ प्रभावी दिनांक 25–01–06 से सीरीज UM/E 2005 (क्रमांक 070001 से 110000 तक) दिनांक 31–03–2006 तक प्रचलित रहेगी। इन दोनों सीरीजों के फार्म दिनांक 31–03–06 की मध्य रात्रि तक सहायता केन्द्रों पर स्वीकार किये जाते रहेंगे।

UM/E 2005 (क्रमांक 070001 से 110000 तक) सीरीज के फार्म ठीक उसी प्रकार की प्रिन्टिंग में है जिस प्रकार सीरीज UM/E 2005 (क्रमांक 000001 से 070000 तक के) फार्म हैं अन्तर केवल सीरीज के क्रमांक का है।

बी0 पी0 पाण्डे,
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तरांचल, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 हिन्दी गजट/70–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।